


## कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: आदेश ::—

राज्य सरकार के आदेशानुसार कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में शुक्रवार (दिनांक : 16.04.2021) शाम 6 बजे से सोमवार (दिनांक : 19.04.2021) सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। इस संबंध में आदेशित किया जाता है कि जिन क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है वहाँ के समस्त विद्यालय/शिक्षण संस्थानों में दिनांक : 17.04.2021 (शनिवार) को पूर्ण अवकाश रहेगा।


  
(सौरभ स्वामी)  
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर  
दिनांक : 16 .04.2021

क्रमांक-शिविरा-माध्य/मा-स/विविध दिवस/2018/526

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर गण।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
7. प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
9. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) - माध्यमिक/प्रारंभिक।
12. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
13. समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान को निर्देशों की पालना एवं क्रियान्विति हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
14. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
15. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर